

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.2(ग)ए.सी.पी./1994-11/अलेसे-1/ 577

दिनांक:- 02-07-25

आदेश संख्या 25/2025-26

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.14(88)एफ.डी./रूल्स/2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 7 में अंकित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे-मैट्रिक्स में एल-12 स्वीकृत की जाती हैं।

क.स.	नाम सहा. लेखाधिकारी ग्रेड-1 (सर्वश्री)	क.ले. मरिट संख्या/बैच	लिंक न.	जन्म तिथि	क.ले. पद पर कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मुकेश कुमार मीणा	146/92 एसपी.	3362	03.05.1971	23.01.1995	23.01.2017	प्रथम एसीपी देय तिथि से 2 वर्ष पश्चात होने, द्वितीय एसीपी परिनिदा के दण्ड एवं एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि होने के कारण देय तिथि से 2 वर्ष बाद स्वीकृत की गई है।

उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 1 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 की वांछित वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.2 (17) वित्त/राजस्व/08 दिनांक 27.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत 9 वर्षों की एपीएआर में से 7 वर्षों की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1994-11/ 577

दिनांक :- 02-07-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. सहायक निदेशक (एपीएआर) मुख्यालय।
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I.....
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय मुख्यालय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।


(के.जी.गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)